MR. CHAIRMAN : Now, hon. Home Minister to reply.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Under which rule do you want to raise point of order?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, a statement has been made by the hon. Prime Minister under Rule 372. Herein, it is said that a statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker. This is the rule under which the hon. Prime Minister has made a statement. There are many Members in the House who are here for a long time. The convention is that the Minister or the Prime Minister who ever makes the statement gives the reply. This convention has not been violated any time. I have consulted the office. That is the convention.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, after the hon. Prime Minister had made the statement today, the hon. Speaker said that she is permitting a discussion under Rule 193, as a special case. So, presently what we are doing is a discussion under Rule 193 and the right person to reply to that debate is the Home Minister.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मेरा एक निवेदन है कि माननीय होम-मिनिस्टर बोलें, लेकिन वे इंटरवीन करें। अपनी पूरी बात इंटरवेंशन के दौरान कह दें। चूंकि प्रधान मंत्री जी आज राज्य सभा में हैं और वहां मोशन चल रहा है और वे वहां आज जज की हैसियत से बैठे हैं और हम उन्हें यहां बुला नहीं सकते, इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी कल जवाब दे दें, आज होम मिनिस्टर इंटरवीन करें। होम मिनिस्टर चर्चा का जवाब नहीं दे सकते हैं। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): This is the plea to prevent the Government to reply. Please do not do that.… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I am asking him to intervene. But the Prime Minister should give the reply. We cannot call him today. So, you call him tomorrow and let him reply tomorrow. … (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, मैं पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि संसद रूल के तहत चलती है और रूल 193 के तहत यह चर्चा इस वक्त हाउस में चल रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और बात वहां खत्म हुई। उसके बाद बात थी कि इसे चर्चा में लेना चाहिए। माननीय नेता विपक्ष उस वक्त कह रही थीं कि इसमें क्लैरिफिकेशन्स करना है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है, नियम 193 के तहत हो रही है लेकिन किस पर चर्चा हो रही है, किस वक्तव्य पर हो रही है?...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: क्लैरिफिकेशन्स की बात हुई थी, उस वक्त हम लोगों ने यही कहा था कि इस पर पूरी चर्चा हो जाए और वह एक सर्व-व्यापी चर्चा हो, एक कम्प्रीहैंसिव चर्चा उस पर हो जाए, जो आज हुई। लोगों ने बहुत अच्छी राय दोनों तरफ से दीं। आपका और विचार था लेकिन लालू जी और बहुत लोगों ने और शब्दों में कहा कि डिगनिटी पार्लियामेंट की कायम रखी जाए। उन बातों पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद इस चर्चा का समापन होना है, गवर्नमेंट की तरफ से एक जवाब के साथ और वह जवाब माननीय होम मिनिस्टर इसमें दे रहे हैं। इसमें इंटरवैंशन की उनकी बात नहीं है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : संसदीय कार्य मंत्री जी, चर्चा नियम 193 के तहत हो रही है मगर किस पर हो रही है। नियम 193 में हम लिखते हैं कि फलां चीज की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा और इस नियम 193 में यह आयेगा कि "प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा।" तो जिसका वक्तव्य है, जवाब वही देंगे ना।

श्री पवन कुमार बंसल: क्या वह चर्चा सीमित थी? सिर्फ उनकी स्टेटमेंट पर चर्चा एक विषय पर थी।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा थी। जो भी लालू जी बोले, वह प्रधान मंत्री के वक्तव्य में ही था। पार्लियामेंट्री प्रौसेस प्रधान मंत्री के वक्तव्य में ही था। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: इतनी शानदार डिबेट होती रही, इस बात से हम उसे डायवर्ट न करें। वह माहौल न बनाएं। सरकार की तरफ से जवाब है। ...(व्यवधान)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Let the Home Minister intervene. हम मना थोड़े ही कर रहे हैं लेकिन जवाब प्रधान मंत्री जी का बनता है।

MR. CHAIRMAN: I have heard the arguments. Now let me give the ruling.

Hon. Members, I agree that by convention the reply to a discussion on a Statement is usually made by the Minister who has made the Statement. The Statement was made by the hon. Prime Minister on demand from the principal Opposition Party as well as from all other parties. However, hon. Members would appreciate that the subject matter of the discussion basically pertains to the Ministry of Home Affairs, I would therefore, urge upon the Members not to insist on reply from the hon. Prime Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, a new convention is being created… (*Interruptions*)